साथी

आतिथ्य उद्योग के लिए मूल्यांकन, जानकारी एवं प्रशिक्षण संबंधी प्रणाली

कोरोना महामारी के मौजूदा प्रकोप को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि सभी आतिथ्य इकाइयां लॉकडाउन के पश्चात आवास तथा अन्य सेवाएं प्रदान करते समय इस वायरस के और अधिक संक्रमण को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं। कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले जोखिम को कम करने और अपना प्रचालन सुरक्षित ढंग से जारी रखने के लिए तैयारी करने में आतिथ्य उद्योग की सहायता करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) की साझेदारी में साथी (आतिथ्य उद्योग के लिए मूल्यांकन, जानकारी एवं प्रशिक्षण संबंधी प्रणाली) नामक पहल की है। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किए गए "आत्मनिर्भर भारत" के आह्वान के अनुरूप है। इसका लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 विनियमो के संबंध में इस उद्योग को न केवल जानकारी देना बल्कि स्टाफ तथा अतिथियों के बीच यह विश्वास जगाना भी है कि उक्त आतिथ्य इकाई ने कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने की मंशा व्यक्त की है।

साथी का विकास पर्यटन मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 दिशा निर्देशों के आधार पर किया गया है जिसमें साथी के निम्नलिखित 10 घटकों को शामिल करते हुए राज्य विशिष्ट स्वच्छता एवं सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को समाहित करने का प्रावधान है:

1. प्रबंधन की वचनबद्धता
2. स्वच्छता एवं साफ सफाई
3. होटल प्रचालनो में सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी
4. संप्रेषण, प्रशिक्षण तथा जानकारी
5. रोकथाम संबंधी उपाय
6. परिवहन प्रबंधन
7. वेंडर प्रबंधन
8. वेंटीलेशन
9. अपशिष्ट प्रबंधन
10. भेदभाव पूर्ण कार्य पद्धतियों पर नियंत्रण

यह पहल तीन चरणों में है :

1. **स्वप्रमाणन** : इसके तहत उन दिशा निर्देशों/प्रमुख घटकों की विस्तृत जानकारी दी जाती है जिन का अनुपालन किया जाना है। होटल/इकाई साथी के कार्यढांचे को समझ कर उससे संबंधित अपेक्षाओं, वे जहां भी लागू हो, का यथासंभव अनुपालन करने के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। इस संबंध में स्वप्रमाणन जारी किया जाता है।

2. **वेबीनार** : जारी किए गए एसओपी/दिशा निर्देशों के संबंध में क्षमता निर्माण का कार्य करते हैं । स्वप्रमाणित होटल/इकाइयां लाइव इंटरेक्शन के माध्यम से अपने संदेह दूर करने के लिए वेबीनारो में भाग लेते हैं ।
3. **साइट का मूल्यांकन (वैकल्पिक)**: साइट पर एसओपी/दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की जांच करता है और कमियों का पता लगाता है । होटल/इकाइयां अपनी इच्छा से क्यूसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से साथी पर आधारित साइट मूल्यांकन करवा सकती हैं जिसके बाद मूल्यांकन रिपोर्ट मूल्यांकन इकाई के साथ साझा की जाती है जिससे स्थिति को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है ।

संक्षिप्त रूप में लाभ

1. सभी हितधारकों (स्टाफ तथा अतिथियों सहित) के बीच बेहतर विश्वास ।
2. पर्यावरण एवं सामाजिक दोनों संदर्भों में जागरूक एवं जिम्मेदार होटल/इकाई के रूप में बेहतर छवि ।
3. साथी द्वारा प्रमाणन जो यह दर्शाता है कि उक्त होटल/इकाई ने कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वच्छता के संबंध में अपनी मंशा एवं प्रतिबद्धता दर्शाई है ।